

पत्र संख्या- विधि-2(1)-प्रवेश कर अधि०/नियम-173-08-09/ 294 (अ०)/ 080908/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि-अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक::नवम्बर:: 09, 2008

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

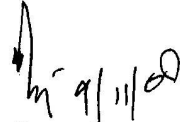
विषय: डीजल पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में।

सर्वश्री 30प्र०पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के द्वारा डीजल पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। इस सन्दर्भ में डीजल पर प्रवेश कर की स्थिति निम्नवत् है:-

- 1- 30प्र०प्रवेश कर अधिनियम 2000 (निरसित) की विज्ञप्ति संख्या-160 दिनांक 15-1-2000 सपठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की विज्ञप्ति संख्या- 2757 दिनांक 29-09-2008 के द्वारा हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाईट डीजल आयल, सुपर लाईट डीजल आयल, सुपीरियल कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है, पर वर्तमान में प्रवेश कर की देयता 5 प्रतिशत की दर से है।
- 2- उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 की धारा-4(1) के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय पर ही प्रवेश कर की देयता है।
- 3- विज्ञप्ति संख्या- क०नि०-2-765/ ग्यारह-9 (203) / 92-30प्र०अधि०-30-07-आदेश-(10)- 2008 दिनांक 04-03-2008 के द्वारा दिनांक 01-01-2008 से स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश से पूर्व हाई स्पीड डीजल-----, की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 के अधीन व्यापारी द्वारा देय कर की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उदग्रहणीय कर से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की गयी है कि छूट की धनराशि उदग्रहीत प्रवेश कर की धनराशि से अधिक नहीं होगी।
- 4- उत्तर प्रदेश में स्थित डीजल निर्माता कम्पनी द्वारा 16.16 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर की वसूली की जाती है। यदि उत्तर प्रदेश का डीजल क्रेता (डीजल पेट्रोल पम्प से डीजल का विक्रेता) द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित डीजल निर्माता कम्पनियों से डीजल की खरीद की जाती है, तब ऐसी दशा में डीजल पम्प के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश से पूर्व मूल्य संवर्धित कर देय / जमा हो चुका होता है। अतः डीजल पम्प डीलर द्वारा की गयी खरीद पर प्रवेश

कर अधिनियम -2007 की विज्ञप्ति संख्या-765 दिनांक 04-03-2008 के लाभ का हकदार हो जाता है। परिणामतः ऐसे डीजल पम्प से डीजल विक्रेता द्वारा प्रवेश कर अलग से जमा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि अदा किया जाने वाला प्रवेश कर 5 प्रतिशत है, जबकि अदा किया जा चुका मूल्य संवर्धित कर 16.16 प्रतिशत है।

- 5- चूंकि डीजल पम्प से डीजल विक्रेता उस स्थानीय क्षेत्र में है जिस स्थानीय क्षेत्र में माल का उपयोग, उपभोग या विक्रय हो रहा है, अतः प्रवेश कर का नक्शा देते समय ऐसे डीजल व्यापारी द्वारा देय प्रवेश कर के स्थान पर यह अंकित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर से खरीदे गये डीजल पर 16.16 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर अदा किया जा चुका है।
- 6- उक्त निर्देशों के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


(अनिल सिंह)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अध्यक्ष/ महामंत्री 30प्र0 पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, को सूचनार्थ प्रेषित।


(एल0ले0मिश्रा)

असिस्टेंट कमिशनर(विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।